न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 78/2022
GCMS NO. : 2022/150

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. डांवरराम पुत्र मंगाराम जति- जाट, निवासी- डिगरना, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।

बनाम

1. मंगलचंद पुत्र पुखराज जाति- महाजन निवासी- डिगरना, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।
2. जिला चिकित्सा अधिकारी पाली जरिये अधिकृत प्रतिनिधि चिकित्सा प्रभारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र डिगरना तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।
3. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:- 26.05.2022

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

दिनॉकः- 31/08/2022

-:: निर्णय ::-

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 92 ए राज. काश्त अधिनियम मानजी वादपत्र वादीगण कि ओर से निम्नलिखित है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला- पाली राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 1290/141 रकबा 1,6026 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सुविधा की दृष्टि से इस भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये राजस्व मौजा डिगरना में पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 140 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म गै.मु. अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मे से होकर प्रार्थी अपने विवादित खसरा नम्बर 1290/141 की भूमि में निर्विवाद रूप से आवागमन कर रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि 1290/141 में आवागमन के लिये खसरा नम्[illegible] से अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से होते हुये मौके पर स्थित 40 फुट चौड़े रास्ते [illegible]मन करता रहा है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की [illegible] 1290/141 की भूमि में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 140 की भूमि [illegible] रास्ते के अलावा विकल्पेन अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध नही है। इस प्रकार [illegible] मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

थत इस रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा उक्त नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शित 40 फुट चौड़े रास्ते से प्रार्थी अपने ातेदारी भूमि में आवागमन कर रहा है। जहां प्रार्थी से पूर्व पूर्ववर्ती खातेदार भी इसी स्ते से होकर आवागमन करता रहा है। इस प्रकार से उक्त रास्ता मौके पर खुला ला आ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शायें ाये रास्ते वाले स्थल से होकर प्रार्थी से पूर्ववर्ती खातेदार वर्षो पूर्व से अपनी खातेदारी ूमि में आवागमन करता रहा है इस प्रकार से उक्त रास्ता कदीमी है। जो राजस्व रेकर्ड ं दर्ज नहीं हैतथा उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। केन्तु मौके पर रास्ता आज दिन तक वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन उक्त रास्ता ाजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 01 के प्रतिनिधि बदनियतीपूर्वक उक्त रास्ता बंद करने को आमादा है तथा इसी नियत से दिनांक 15.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के पारिवारिक सदस्यो ने मौके पर रास्ता बन्द करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थी ने मौके पर रास्ते अवरूद्ध करने वाले व्यक्तियों से समझाईश की लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 के प्रतिनिधि नही मान रहे है। इस प्रकार से यदि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थी हमेशा हमेशा के लिये अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नही कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होगी व नुक्सान होगा। इस बाबत प्रार्थी विधिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत भी तैयार है व उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है। प्रार्थी का इस नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता ही एक मात्र कदीमी रास्ता है । इस प्रकार से इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी अपने इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता प्रार्थी का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किया जावे। उक्त मुआवजा राशि प्रार्थी देने को भी तैयार है, विकल्पेन न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए से बी को खसरा नम्बर 140 की भूमि से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दंर्ज किया जाना आवश्यक है व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है एवं उक्त रास्ते की भूमि को भी प्रार्थी रास्ते के रूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 02 इस वादग्रस्त खसरा नम्बर 140 का सहहिस्सेदार है, मौके पर आपसी सहमति से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के बीच भूमि बंटी हुई है। प्रार्थी का मुख्य अनुतोष अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध ही है। अप्रार्थी संख्या 02 केवल सहहिस्सेदार होने से उन्हे वाद पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के [illegible] में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश [illegible] श्रीमान जी [illegible] निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें के मालिक राजस्व [illegible] पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि [illegible]90/141 में आवागमन के लिये 40 फुट चौड़ाई में रास्ता अप्रार्थीगण के राजस्व ग्राम डिगरना पटवार हल्का डिगरना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 140 की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित ार्क ए से बी की भूमि जो कि मौके पर 40 फुट की चौड़ाई में रास्ते के रूप में ाम आ रही है। उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि से कम या जाकर प्रार्थी के विवादित भूमि पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का र्णय व फैसला फरमावे व रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा व मुआवजा तय फरमावे व प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर से अप्रार्थीगण को अदा फरमावें व प्रार्थी का उक्त रास्ता कायम करते हुये प्रार्थी के ार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर प्रार्थी को न्याय दिलावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को रिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बार बार आवाजे लाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय र्यवाही की जाती है।

तहसीलदार जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में पोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/729 दिनांक 25.07.2022 ारा चाही गई थी, तहसीलदार जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2022 तथा 22.08.2022 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1290/141 में जाने हेतू वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतू रास्ता की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थीगण की आराजी की पहुंच के लिए निकटतम विकल्प निम्न है– खसरा संख्या 139 रेकर्डेड रास्ता जो कि डिगरना से पटेलनगर जाता है, से लगते हुए खसरा संख्या 140 रकबा 0.1700 हैक्टर मे से 17×09 = 153 वर्गमीटर यानि 0.0153 हैक्टर बनता है जो कि खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त भूमि में जाने हेतू अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नही है। खसरा संख्या 140 में से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक है। खसरा संख्या 140 कुल रकबा 0.1700 हैक्टर है, जिसमें 2/3 हिस्से की भूमि में जिला चिकित्सा अधिकारी पाली के प्रतिनिधि की है एवं उक्त भूमि राजकीय अस्पताल को दान में प्राप्त होने तथा मौके पर उक्त भूमि अस्पताल के रूप में उपयोग में लिए जाने के कारण प्रस्तावित रास्ते की भूमि जिसका रकबा 153 वर्गमीटर यानि 0.0153 हैक्टर है, को खसरा संख्या 140 के 1/3 हिस्से के खातेदार मंगलचंद के हिस्से में से कम किया जाना विधिसंगत होगा। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जैतारण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय भू. अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की फर्द मौका आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन [illegible] निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19[illegible] किया कि ग्राम डिगरना तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1290/141

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

त्रफल 1.6026 हैक्टर किस्म बारानी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता ं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी की आराजी के लगते ही अप्रार्थीगण की राजी खसरा संख्या 140 आई हुई है जिसमें से प्रार्थी वर्षो से 40 फुट रास्ते से ावागमन करता रहा है। इस प्रकार से उक्त रास्ता कदीमी है तथा राजस्व रेकर्ड में र्ज नही है। अतः प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से 0 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावे, जिसके लिए प्रार्थी राशि भुगतान करने के लए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण ी जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके वेरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

. प्रकरण में तहसीलदार जैतारण मय भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल से तथ्यात्मक ांच प्रतिवेदन चाहा गया। भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा दिनांक 28.07.2022 था 22.08.2022 को तैयार फर्द मौका रिपोर्ट मय जांच प्रतिवेदन मय टीआरए रेपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 1290/141 तक आगमन के लिए र्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थी की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 1290/141 तक पहुंच के लिए निम्न निकटतम एवं सुलभ विकल्प प्रस्तावित है- खसरा संख्या 139 रेकर्डेड रास्ता जो कि डिगरना से पटेलनगर जाता है, से लगते हुए खसरा संख्या 140 रकबा 0.1700 हैक्टर मे से 17×09 = 153 वर्गमीटर यानि 0.0153 हैक्टर बनता है जो कि खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त भूमि में जाने हेतू अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नही है। अतः उक्त विकल्प को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है- और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड [illegible] जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और [illegible] जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, ुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता , द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम ान फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस ूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित हीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट े अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि ो धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने ा विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के ंदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की, की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 1290/141 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। यह उपलब्ध भू नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण मय भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। तहसीलदार जैतारण मय भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित विकल्प खसरा संख्या 139 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 140 किस्म गैर मुमकिन भूमि में से मार्क ए से बी तक 17 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 153 वर्गमीटर यानि 0.0153 हैक्टर है, न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 75,611/– रूपये प्रति बीघा अर्थात 46.71 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 153 वर्गमीटर अर्थात 0.0153 हैक्टर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अर्थात 75,611/- रूपये प्रति बीघा अर्थात 46.71 रूपये प्रति वर्गमीटर की ी अर्थात 93.42 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित ाजी में से कम किया गया कुल रकबा 204 वर्गमीटर अर्थात 0.0204 हैक्टर के े कुल प्रतिकर राशि 14,293/- रूपये अर्थात 14,300/- (अक्षरे चौदह हजार न सौ रूपये मात्र) प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् के लिए निर्धारित की जाती है।

खसरा संख्या 140 की आराजी जिसमें 2/3 हिस्से की भूमि राजकीय अस्पताल । है, जो अस्पताल को दान में प्राप्त हुई है तथा मौके पर अस्पताल के रूप में ाम में ली जा रही है तथा शेष 1/3 हिस्सा खातेदार मंगलचन्द के नाम दर्ज है ता: प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रयुक्त भूमि रकबा 153 वर्गमीटर अर्थात 0.0153 क्टर खसरा संख्या 140 के सहखातेदार मंगलचंद हिस्सा 1/3 के हिस्से में से कम रते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर इसके लिए निर्धारित प्रतिकर राशि 14,300/- रूपये मंगलचंद को भुगतान किया जाना वधिसंगत एवं उचित होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 139 रिकॉर्डेड रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 140 खातेदारी भूमि में मार्क ए से बी की भूमि में से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1290/141 की सीमा तक पहुंच के लिए भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 140 में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 17 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा कुल रकबा 153 वर्गमीटर यानि 0.0153 हैक्टर खसरा संख्या 140 के सहखातेदार मंगलचंद हिस्सा 1/3 के हिस्से में से कम किया जाकर इसे सार्वजनिक सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 14,300/- रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदार मंगलचंद पुत्र पुखराज को भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 1290/141 रकबा 1.6026 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 139 रिकॉर्डेड रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 140 खातेदारी गैर मुमकिन भूमि में से मार्क ए से बी तक 17 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 153 [illegible] अर्थात 0.0153 हैक्टर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थी खातेदार [illegible] निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी मंगलचंद [illegible] खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गैर मुमकिन रा[illegible] स्वीकृत किया जाता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 0(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की गुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल कबा 153 वर्गमीटर अर्थात 0.0153 हैक्टर के लिये कुल प्रतिकर राशि 14,300/- पये (अक्षरे चौदह हजार तीन सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण ो निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर भावित खातेदार मंगलचंद पुत्र पुखराज को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार मंगलचंद त्र पुखराज द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे ातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य ुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्रारा दिनांक 22.08.2022 को तैयार फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या े एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested